

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेरमों (तेनुघाट)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(क) के अंतर्गत

परमिशन वाद संख्या 64

वर्ष 2015

आवेदक- दशाराम मौंझी

ग्राम - टीकाहारा

थाना - महुआटांड जिला-बोकारो

क्रेता- आसीन मौंझी

ग्राम - पुटकाडीह

थाना -महुआटांड जिला- बोकारो

की क्र०
तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख के
साथ।

02

03

आदेश

यह वाद आवेदक- दशाराम मौंझी पिता स्व० एतवा मौंझी ग्राम-टीकाहारा थाना- महुआटांड जिला-बोकारो द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(क) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरण निम्नवत:-

मौजा	थाना न०	खाता न०	प्लॉट न०	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
टीकाहारा	137	10	439	8.18 डी०	22 डी०	टॉड कृषि योग्य

को वे अपना बीमारी के ईलाज हेतु मो० 1,24,000/- (एक लाख चौबीस हजार) रुपये में क्रेता- आसीन मौंझी पिता स्व० मिरुलाल मौंझी ग्राम टीकाहारा टोला कसियाडीह थाना-महुआटांड जिला- बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(क) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत किया गया तथा इस कार्यालय के पत्रांक 401/रा० दिनांक 27.07.2016 के माध्यम से अंचल अधिकारी, गोमिया से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री की अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, गोमिया के पत्रांक 1059 दिनांक 21.11.2016 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:-

01. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों संताल जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जन जाति के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता ग्राम टीकाहारा थाना-महुआटांड जिला बोकारो एवं क्रेता ग्राम-टीकाहारा टोला कसियाडीह थाना-महुआटांड जिला-बोकारो का निवासी हैं।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि का खतियान जटा मांझी के नाम से दर्ज है एवं उक्त जमीन की जमाबन्दी पंजी-11 में जटा मांझी के नाम से चल रही है तथा वर्ष 2006-07 तक लगान रसीद निर्गत है। बिक्रेता को यह भूमि आपसी बैटवारा द्वारा हासिल है।
03. आवेदित भूमि बिक्रेता के हिस्से की जमीन है तथा उसपर बिक्रेता का दखल कब्जा है।
04. प्रस्तावित भूमि भू हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी०सी०एल० अधिग्रहित क्षेत्र, से बाहर है।

उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता दशाराम मौंझी के

cc-issued
28/11/17

द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन जटा मौंझी के नाम खतियान जमीन है तथा उक्त जमीन की जमाबन्दी पंजी-II में जटा मौंझी के नाम से ही चल रही है। उक्त जमाबन्दी में वर्ष 2006-07 तक लगान रसीद निर्गत है। बिक्री वाली जमीन उनके हिस्से की है जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखा है। उक्त जमीन में कोई विवाद नहीं है, तथा वर्तमान में आवेदक के शान्ति पूर्ण दखल कब्जे में है।

उभय पक्ष अपने पक्ष में निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:-

01. विक्रेता- जटा मौंझी के नाम सर्वे खतियान की छायाप्रति तथा सरकारी लगान रसीद की छायाप्रति ।

02. क्रेता- स्वयं के नाम सरकारी लगान रसीद की छायाप्रति।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी गोमिया से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष संताल जाति के हैं, जो अनुसूचित जन जाति के अंतर्गत आते हैं तथा बिक्रेता ग्राम, टीकाहारा तथा क्रेता ग्राम पुटकाडीह एक ही थाना एवं जिलान्तर्गत निवास करने वाले हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के हिस्से की खतियानी जमीन है, जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः आवेदक- दशाराम मौंझी पिता स्व0 एवता मौंझी ग्राम-टीकाहारा थाना- महुआटॉड जिला- बोकारो को निम्नांकित भूमि :-

मौजा	खाता न0	प्लॉट न 0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	उत्तर सीमा	दक्षिण सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
टीकाहारा 137	10	439	8.18 डी0	22 डी0	नीज दशाराम मौंझी	बुधन मौंझी	नीज दशाराम मौंझी	आसीन मौंझी वाके
कुल 22 (बाइस) डीस्मिल मात्र।								

मो0 1,30,000/- (एक लाख तीस हजार) रुपए या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता- आसीन मौंझी पिता स्व0 मिरूलाल मौंझी ग्राम टीकाहारा टोला कसियाडीह थाना-महुआटॉड जिला-बोकारो को बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।